छत्तीसगढ़ संवाद कार्यालय हेतु बस किराये के लिए
निविदा–प्रपत्र

निविदा सूचना क्रमांक–1447 **नवा रायपुर, दिनांक– 25/10/2021**

//निविदा प्रपत्र//

निविदा प्रपत्र का शुल्क	रूपये 1180/–जीएसटी सहित(वापसी योग्य नहीं)
अमानत राशि	रूपये 50,000/–(बिना ब्याज के वापसी योग्य)
निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि	दिनांक 24/11/ 2021 समय 2:00 बजे अपरान्ह तक
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 24/11/ 2021 समय 3:00 बजे अपरान्ह तक
निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 24/11/ 2021 समय 4:00 बजे सायं से

छत्तीसगढ़ संवाद

(छत्तीसगढ़ शासन, जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर

फोन नं.–0771–2512536

Web :- http://samvad.cg.nic.in/, Email :- cgsamvadadvt@gmail.com

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था)
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)
फोन– 0771–2512536

निविदा क्रमांक–1447/छगसं./वाहन/2021 **नवा रायपुर, दिनांक 25/10/2021**

बस वाहन किराए पर लिए जाने हेतु निविदा आमंत्रण सूचना

छत्तीसगढ़ संवाद (छत्तीसगढ़ शासन, जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था) नवा रायपुर के कर्मचारियों को रायपुर से नवा रायपुर स्थित कार्यालय आने–जाने हेतु मासिक किराये पर बस वाहन की सेवा उपलब्ध कराने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के पंजीकृत, अनुभवी एवं योग्य फर्मों/ट्रेवल्स एजेंसी से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि, निविदा प्रपत्र जमा करने एवं खोलने की तिथि निम्नानुसार है :–

निविदा प्रपत्र शुल्क	रूपये 1180/–जीएसटी सहित(वापसी योग्य नहीं)
अमानत राशि	रूपये 50,000/–(बिना ब्याज के वापसी योग्य)
निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	दिनांक 24/11/2021 समय 2:00 बजे अपरान्ह तक
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 24/11/2021 समय 3:00 बजे अपरान्ह तक
निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 24/11/2021 समय 4:00 बजे सायं से

उपरोक्त निर्धारित तिथि को अपरान्ह 3:00 बजे तक निविदा प्रस्ताव बंद लिफाफे में **छत्तीसगढ़ संवाद कार्यालय, नवा रायपुर के प्रथम तल, कक्ष क्रमांक FF-12** में जमा किया जा सकता है। अपरान्ह 3:00 बजे के बाद प्राप्त निविदा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। निविदा संबंधी अन्य जानकारी, नियम शर्त एवं निविदा प्रपत्र छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाईट **http://samvad.cg.nic.in/** से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा के नियम शर्तों या अन्य किसी प्रकार संशोधन होने पर समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी नहीं की जाएगी। मात्र उक्त वेबसाइट में संशोधन की जानकारी दी जाएगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
नवा रायपुर अटल नगर

छत्तीसगढ़ संवाद

नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़

बस वाहन किराये पर लिए जाने निविदा हेतु निर्धारित नियम एवं शर्तें

1. प्रतिमाह किराये दर में वाहन का न्यूनतम 2000 कि.मी. चलना सम्मिलित हैं। जिसमें पेट्रोल/डीजल वाहन मालिक द्वारा देय होगा।
2. वाहन प्रतिमाह दर में 2000 कि.मी. चलने के उपरांत अतिरिक्त कि.मी. न्यूनतम मान्य दर से भुगतान किया जाएगा। जिसमें पेट्रोल/डीजल एवं अन्य सभी व्यय वाहन मालिक द्वारा देय होगा।
3. वाहन मुख्यालय पर रहने या मुख्यालय से बाहर जाने पर कोई अतिरिक्त भार देय नहीं होगा। लॉकडाउन या अन्य कारणों से लगातार 10 या अधिक दिन तक बस परिचालन बन्द रहता है तो देयक में डीजल व्यय राशि की अनुपातिक रूप से कटौती कर देयक भुगतान किया जाएगा।
4. वाहन के समस्त कागजात परिवहन विभाग के नियमानुसार होना अनिवार्य होगा। वाहन का रोड टैक्स/बीमा एवं अन्य सभी प्रकार के शुल्क आदि का भुगतान वाहन मालिक द्वारा किया जाएगा। वाहन का रोड टैक्स एवं बीमा (कम्प्रेहेन्सिव) अद्यतन होना चाहिए।
5. वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। वाहन चालक का वेतन एवं अन्य व्यय संबंधित वाहन मालिक द्वारा देय होगा। वाहन चालक अवकाश या अस्वस्थ होने पर वाहन मालिक को तत्काल दूसरे अहर्ता प्राप्त वाहन चालक की व्यवस्था करना होगा, अन्यथा मासिक देयक में प्रतिदिन हेतु निर्धारित किराया दर पर कटौती की जाएगी। यदि विभाग द्वारा वाहन चालक की व्यवस्था की जावेगी तो इसकी भुगतान राशि वाहन मालिक को देय बिल से काट ली जाएगी एवं समस्त जवाबदारी वाहन मालिक की होगी। वाहन चालक व्यवहार कुशल हो तथा कार्य के दौरान किसी भी तरह के नशा सेवन नहीं करेगा।
6. वाहन के मरम्मत रख–रखाव एवं समस्त अन्य खर्चे वाहन मालिक द्वारा देय होगा। वाहन खराब होने पर मरम्मत रख–रखाव हेतु तथा मालिक द्वारा वाहन वापस लिए जाने की स्थिति में वाहन मालिक द्वारा दूसरे वाहन की व्यवस्था करनी होगी। यदि विभाग द्वारा यह व्यवस्था की जाती है तो व्ययपूर्ति का दायित्व वाहन मालिक की होगी।
7. किराये पर लिए गए वाहन अच्छी स्थिति में नहीं पाये जाने पर तत्काल हटा दिया जाएगा एवं देयक का भुगतान रोक दिया जाएगा
8. वाहन की लॉग बुक/लॉग कार्ड प्रतिदिन अनिवार्य रूप से वाहन चालक को नियमानुसार भरना होगा एवं संबंधित अधिकारी से प्रतिदिन हस्ताक्षर लिया जाना होगा व उक्त लॉग बुक/लॉग कार्ड मूलतः कार्यालय में देयक के साथ जमा करना होगा जो कि शासकीय अभिलेख होगा। वाहन छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा निर्धारित रूट के अनुसार परिचालन करना होगा।

9. आबंटित वाहन का उपयोग वाहन उपलब्ध कराने वाले फर्म द्वारा अवकाश या अन्य दिवस में अन्य संस्था के लिए नहीं किया जाएगा।
10. वाहन किराया दर में सभी प्रकार के वैधानिक टैक्स सम्मिलित रहेंगे। छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा अलग से किसी प्रकार के टैक्स का भुगतान नहीं किया जाएगा। जीएसटी पंजीयन होने की स्थिति में फर्मों को मात्र जीएसटी अतिरिक्त देय होगा।
11. देयक दो प्रतियों में मय लाग बुक/लाग कार्ड के साथ उपयोगकर्ता अधिकारी के सत्यापन के एक सप्ताह के भीतर अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। देयक का भुगतान संभावित अवधि में RTGS के माध्यम से किया जाएगा। वाहन मालिक अन्य टैक्स/आयकर शुल्क आदि भुगतान के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। लाग बुक वाहन मालिक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
12. वाहन रखने की अवधि का निर्धारण करने का अधिकार छत्तीसगढ़ संवाद को होगा। वाहन अनुबंध अवधि तक निविदा शर्तें अनुसार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, वाहन मालिक द्वारा अनुबंध के किसी प्रकार के उल्लंघन एवं सेवा में अनियमितता होने पर वाहन मालिक/संस्था पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
13. शर्तों का उल्लंघन करने पर वाहन को हटा दिया जाएगा, वाहन का किराया भी देय नहीं होगा एवं जमा अमानत राशि राजसात की जाएगी।
14. निविदाकार फर्म के पास स्वयं/फर्म के नाम से बस वाहन होना अनिवार्य है। वाहन अच्छी कंडीशन में होना अनिवार्य है एवं वाहन 2018 मॉडल से पूर्व की नहीं होना चाहिए तथा वाहन के संबंध में शिकायत एवं अच्छी स्थिति में नहीं पाये जाने पर तत्काल हटा दिया जाएगा एवं देयक/अमानत राशि का भुगतान रोका जा सकता है।
15. निविदा दो पृथक–पृथक लिफाफों में प्रस्तुत करना होगा। एक लिफाफा टेक्निकल बिड का होगा, जिसमें पेनकार्ड की प्रति, कर निर्धारण वर्ष 2020–21 हेतु जमा आयकर रिटर्न के एकनॉलेजमेंट की प्रति, जीएसटी पंजीयन की प्रति (यदि पंजीकृत है तो), वाहन के दस्तावेज जिसमें वाहन का मॉडल एवं टैक्स, बीमा आदि के भुगतान संबंधी दस्तावेज तथा वाहन एवं चालक की सूची, निर्धारित प्रारूप में रू. 50/– का स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ–पत्र रहेगी तथा निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 1180/–(वापसी योग्य नहीं) एवं अमानत राशि रू.50,000/–(बिना ब्याज के वापसी योग्य) का ''छत्तीसगढ़ संवाद'' के नाम से देय डिमाण्ड ड्राफ्ट की मूल प्रतियां रहेगा। दूसरा लिफाफा फाईनेंशियल बिड का होगा जिसमें निर्धारित प्रारूप में दरें होंगी। दोनों लिफाफों में सामने टेक्निकल बिड एवं फाईनेंशियल बिड लिखा रहेगा। टेक्निकल बिड तथा फाईनेन्शियल बिड पृथक–पृथक लिफाफा में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
16. निविदा प्रस्ताव बंद लिफाफे में **निर्धारित तिथि एवं समय पर छत्तीसगढ़ संवाद कार्यालय, नवा रायपुर के प्रथम तल, कक्ष क्रमांक FF-12** में जमा की जा सकती है। निविदा निर्धारित तिथि एवं समय पर निविदा समिति के समक्ष खोली जाएगी जिसमें संस्था के अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेंगे। टेक्निकल बिड के साथ प्रस्तुत दस्तावेज ही मान्य होगा। बाद में प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

17. स्वीकृत दर पर आवश्यकतानुसार वाहन अनुबंध अवधि तक उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित ट्रेवल्स एजेंसी की होगी, अनुपलब्धता या बीच में कार्य छोड़ने की स्थिति में उनके द्वारा जमा अमानत राशि को जप्त कर उनके विरूध्द नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी एवं नई निविदा हेतु जो लागत छत्तीसगढ़ संवाद नवा रायपुर को होगी उसकी क्षतिपूर्ति चयनित फर्म से की जाएगी। उक्त निविदा में स्वीकृत दर दो वर्ष के लिए मान्य होगी। फर्म की सेवा संतोषजनक पाए जाने पर सेवा अवधि में निविदा के नियम शर्तें के तहत प्राप्त न्यूनतम दर पर एक वर्ष वृद्धि करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद को रहेगा।
18. निविदा की किसी भी शर्तों, नियम कंडिका को शिथिल करने अथवा सम्पूर्ण निविदा को किसी भी समय निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद को होगा।
19. निर्धारित प्रारूप में 50 रूपये का स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ–पत्र दिया जाना होगा कि संबंधित संस्था/व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्र एवं अन्य अभिलेख पूर्णतः सही है और सत्यापन के समय कोई प्रमाण–पत्र गलत पाए जाने पर उसे छत्तीसगढ़ संवाद की सूचीबद्धता से अगले तीन वर्षों तक के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।
20. किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेटर– प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जाएगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। आर्बिट्रेशन की कार्यवाही आर्बिट्रेशन एवं काउंसिलेशन एक्ट, 1996 के अधीन संपादित होगा।
21. उक्त निविदा के नियम शर्तों, तिथि या अन्य किसी प्रकार की संशोधन होने पर समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी नहीं की जाएगी। मात्र छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाइट **http://samvad.cg.nic.in/** में संशोधन की जानकारी दी जाएगी।
22. जीएसटी पंजीकृत फर्म को जीएसटी अनिधिनियम के तहत नियत समय में जीएसटी भुगतान कर जीएसटी रिटर्न जमा करना होगा।
23. निविदा जमा करने का आशय यह होगा कि उपरोक्त सभी शर्तें मान्य हैं।
24. वाहन किराये के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद होने पर अंतिम निपटारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा किया जाएगा। उनका निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।
25. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर, छत्तीसगढ़ होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
नवा रायपुर अटल नगर

(रू. 50/– के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ–पत्र निविदा के टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करना होगा)

शपथ–पत्र

मैं–––––––––––––––––––संस्था प्रमुख निवासी –––––––––––––––––––––––छग संवाद द्वारा जारी निविदा प्रारूप, निर्धारित नियम एवं शर्त का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के पश्चात ही उपरोक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। उपरोक्त आवेदन में अंकित कोई भी जानकारी अपर्याप्त/अधूरी या फिर गलत पाई जाती है तो इसे अस्वीकार/निरस्त करने एवं छत्तीसगढ़ संवाद की सूचीबद्धता से अगले तीन वर्षों तक के लिए अपात्र घोषित करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छग संवाद को होगा। इस बारे में मेरे या संस्था के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की अपील या आपत्ति किसी क्षेत्र में नहीं की जायेगी। मुझे छग संवाद की उपरोक्त से संबंधित सभी नियम एवं शर्तें स्वीकार है।

यह कि हमारी संस्था –––––––––––––––––––––––––– किसी शासकीय और अर्द्ध शासकीय विभाग द्वारा ब्लेक लिस्टेट (काली सूची) नहीं है।

स्थान ––––––––––––––
दिनांक –––––––––––––

हस्ताक्षर
(पूरा नाम)
संस्था का नाम व मोहर

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर
फोन नं.0771–2512536

बस किराया हेतु निविदा दरें

क्र.	वाहन का विवरण	प्रतिदिन का किराया (100 कि.मी. सहित) रूपये	प्रतिमाह का किराया (2000 कि.मी. सहित) रूपये	अतिरिक्त किराया प्रति किलोमीटर रूपये
1	बस (एसी)–35 सीटर			
2	बस (एसी)–42 सीटर			
3	बस (एसी)–फर्म के पास उपलब्ध बस के सीट का उल्लेख करें (––––सीटर)			
4	बस (नान एसी)–35 सीटर			
5	बस (नान एसी)–42 सीटर			
6	बस (नान एसी)–फर्म के पास उपलब्ध बस के सीट का उल्लेख करें (––––सीटर)			

हस्ताक्षर

नाम / फर्म का नाम

पूर्ण पता.........................

....